FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 346/2025

दायरा दिनांक : 24.12.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

कालूलाल S/o बापू भील नि० गुराडिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
24.12.2025	न्यायालय हाजा में वादी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 26.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	
26.12.2025	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	
29.12.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गुराडिया की जमाबंदी सं. 2075-78 एवं तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग 4(1) राज–6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 परिपत्र के अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। (दिनेश कुमार मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पीठा[illegible], पिड़ावा पिड़ावा [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर रीडर

हस्ताक्षर लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम गुराडिया जमाबंदी सं. 2075 - 2078 के खाता सं. 149 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रतावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		149	कालूलाल पुत्र बापू	कारूलाल पुत्र बापू

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण — हस्ताक्षर

वादी 1. कारूलाल पुत्र बापू जाति भील निवासी गुराडिया — कारूलाल

गवाह (1) 2. रामबाबू पुत्र केसरसिंह जाति भील निवासी गुराडिया — रामबाबू

3. ....

4. ....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम गुराडिया के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

23/12/25

हस्ताक्षर पटवारी

प0म0 गुराडिया

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

भू0अभिलेख निरीक्षक

भू0अ0नि0वृ0 सलोतिया

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय तहसीलदार तह. सुनेल जि० झालावाड़
Mail Id- tdr.sunel@rajasthan.gov
क्रमांक 1156/भू अ०/2025 दिनांक 23/12/2025

(3)

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांकः राजस्व/2025/ दिनांक :

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम गुराड़िया के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

23/12/25
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार (भू. अ.)
तहसील सुनेल

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांकः राजस्व न्यायालय/2025/346 दिनांक : 29/12/2025

वादी/प्रार्थी के ग्राम गुराड़िया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरूस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner